कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या 830/1जी–FP/UK/Others/12505/2015 देहरादूनः दिनांकः 11 सितंबर, 2015

सेवा में,
अपर सचिव, वन
उत्तराखण्ड शासन

विषयः–जनपद रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग जलोत्सारण योजना हेतु – **0.02 है0 वन भूमि हस्तांतरण FP/UK/Others/12505/2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव 1 है0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है0 50 से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्वांतिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0टी0एस0लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

संख्या : /1जी–FP/UK/Others/12505/2015 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः
1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
3. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।
7. अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

(एस0टी0एस0लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः

जनपद रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग जलोत्सारण योजना हेतु – **0.02 है0 वन भूमि हस्तांतरण FP/UK/Others/12505/2015**

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु रुद्रप्रयाग वन प्रभाग में 0.02 है0 सिविल वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की है। अतः जनहित में, प्रस्ताव 1 है0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है0 50 से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण, प्रस्ताव पर सैद्वांतिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (एस0टी0एस0लेप्चा भा.व.से)
अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं
नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहरः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून

तिथि : 11/09/2015
स्थानः देहरादून